"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर 2011—भाद्र 29, शक 1933

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-26/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची एक के कॉलम नम्बर (1), (2), (3) तथा (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जायें, अर्थात् :—

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

संचालनालय

निम्नलिखित पदों के नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतनमान (4)
डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	4000-6000
डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	(संविदा)
सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर सहायक)	1	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5500-9000

जिला कार्यालय

निम्नलिखित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
डाटा एन्ट्री आपरेटर	18	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	4000-6000
डाटा एन्ट्री आपरेटर	16	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	(संविदा)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-26/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-09-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 20th September 2011

NOTIFICATION

No. F 1-26/Food/2011/29.—In exercise of the powers conferred by section 309 of Indian Constitution, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in Chhattisgarh Food and Civil Supplies Class-3 (Non-gazetted) Service Recruitment Rule, 1989, namely :—

AMENDMENT

For entries under column number (1), (2), (3) and (4) of schedule one of above rule, the following entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-One
(Please see rule 5)

Directorate

Name of following posts	No. of posts	Categorization	Pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Data Entry Operator	1	Class Three Clerical	4000-6000
Data Entry Operator	1	Class Three Clerical	(Contract)
Assistant Programmer (Computer Assistant)	1	Class Three Clerical	5500-9000

District Office

Name of following posts (1)	No. of posts (2)	Categorization (3)	Pay scale (4)
Data Entry Operator	18	Class Three Clerical	4000-6000
Data Entry Operator	16	Class Three Clerical	(Contract)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SONMONI BORAH, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.